राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(17)ग्रावि / नरेगा / मुख्यमंत्री आवास योजना 2024–14655–8327019 जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला समस्त राजस्थान।

विषय :–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री घुमन्तू आवास–2024 अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत आवास निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से 90 मानव दिवस (श्रमिक भुगतान राशि) उपलब्ध करवाये जाने के संबंध।

संदर्भ :– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री घुमन्तू विभागीय दिशा निर्देश पत्रांक एफ.11 / घुमन्तू आवास योजना–2024 / विकास / सान्याअधि / 24 / 18286 दिनांक 22.10.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के क्रम में राज्य के विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्धघुमन्तू समुदाय से संबंधित परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य मद से संचालित योजना के सर्दर्भित दिशा–निर्देश दिनांक 22.10.2024 (सलंग्न) के बिन्दु संख्या – 6 एवं संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक 17.06.2025 के अनुसार महात्मा गाधी नरेगा योजना से 90 मानव दिवस (श्रमिक भुगतान राशि) उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024–25 के बिन्दु संख्या 7.5.5 में PMAY-G या राज्य द्वारा संचालित आवास योजनाओ में (न्यूनतम 25 वर्गमीटर प्लिन्थ एरिया) 90 मानव दिवस उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उक्त योजना में स्वीकृत आवासों हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से 90 मानव दिवस उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में विभाग द्वारा संचालित PMAY-G आवासों हेतु निर्धारित निम्नांकित प्रक्रिया अनुसार ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. महात्मा गांधी नरेगा वार्षिक कार्य योजना / पूरक कार्य योजना में जोड़ना
2. नरेगा सॉफ्ट पर वर्क कोड जनरेट करना (स्टेट आवास स्कीम का चयन करते हुये पीओ लॉगिन के माध्यम से)।
3. मस्टरोल जारी करना (स्टेज वाईज)।
4. मस्टररोल का भुगतान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jugal Kishor Meena
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.14 12:43:46 IST
Reason: Approved

अतः बजट घोषणा वर्ष 2024—25 की पालना में संचालित उक्त योजना में स्वीकृत आवासों हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से 90 मानव दिवस उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(जुगल किशोर मीणा)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सहायक, आयुक्त, ईजीएस।
6. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।
7. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, मुख्यालय, जयपुर।
8. परि0 निदे0 एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
9. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
10. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला समस्त।
12. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद, समस्त।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, ईजीएस, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. श्री नरसिंह पुत्र श्री पेमाराम भाट, गांव कुलपण्ड, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ पिन कोड—305063, मोबाईल नम्बर — 9610817425 को उनके पत्र दिनांक 12.09.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
15. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jugal Kishor Meena
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.14 12:43:46 IST
Reason: Approved

महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत 90 मानव दिवस हेतु मस्टररोल जारी करना :-

"आवास सॉफ्ट" से जारी स्वीकृति के साथ ही नरेगा सॉफ्ट में स्वतः आवास स्वीकृति का "वर्ककोड जनरेट" हो जाता है। अतः महात्मा गांधी नरेगा से स्वीकृति के साथ ही आवास हेतु मस्टररोल जारी कर दी जावेगी, जिससे नींव खुदाई का कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजना से अनुमत 90 अर्द्धकुशल श्रमिक मानव दिवस पारिश्रमिक, निर्माण के स्तर के आधार पर निम्नानुसार देय होगा :-

क्र.सं.	अवस्था	अनुमत मानव दिवस	देय राशि अधिकतम(रु. में)
1	कुर्सी लेवल तक अधिकतम	28	रु. 6188/-
2	कुर्सी से लिंटल लेवल तक अधिकतम	24	रु. 5304/-
3	लिंटल लेवल से छत लेवल तक अधिकतम	10	रु. 2110/-
4	छत लेवल से फिनिशिंग तक अधिकतम	28	रु. 6188/-
	कुल योग	**90**	**रु. 19890/-**

उपरोक्तानुसार अनुमत अर्द्धकुशल श्रमिक मानव दिवस हेतु स्वीकृति के साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना से मस्टररोल जारी कराने का दायित्व विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक/अतिरिक्त विकास अधिकारी का होगा।

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक एफ.11() ब.घो. 2024/मु.घु.आवास. योजना/बीसी/सान्याअवि/24/28157-97 जयपुर दिनांक :- 21/1/25

उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
राजस्थान।

विषयः– मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना पोर्टल पर आई.डी. मैप करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्र्तगत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 83 वर्ष 2024–25 की अनुपालना में विभाग द्वारा **स्थायी आश्रय और आवास से वंचित De notified tribes के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024 के दिशा निर्देश दिनांक 22.10.2024 (प्रति संलग्न) जारी कर दिये गये है,** जिसके अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनवाने के लिए अनुदान सहायता हेतु आवेदक को संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति में आवेदन करना होगा एवं शहरी/नगरीय क्षेत्र मे मकान बनवाने के लिए आवेदक को संबधित अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के कार्यालय में आवेदन करना होगा तथा संबधित विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेंजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र अपनी अनुशंषा के साथ संबधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अग्रेषित करेगा। सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग द्वारा सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति जारी कर आवश्यक राशि संबधित विकास अधिकारी एवं अधिशापी अधिकारी को एकमुश्त राशि अन्तरित करेगा।

उक्त योजना में आवेदन हेतु विभाग द्वारा ऑन–लाईन "सीएम घुमन्तु आवास योजना" पोर्टल प्रारम्भ कर दिया गया है। जिसमें आवेदक ई–मित्र एवं सिटिजन कियोस्क के माध्यम से ऑन–लाईन आवेदन कर सकता है। उक्त पोर्टल पर विभाग के समस्त जिलाधिकारियों की आई.डी. मैप की जा चुकी है। आपके स्तर से पोर्टल पर अपने जिले के ग्राम विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी की एस.एस.ओ. आईडी मैप की जानी है।

Signature valid
Digitally signed by Baghanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.01.20 17:53:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 13095225

Scanned with OKEN Scanner

अतः उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके स्तर से पोर्टल पर अपने जिले के ग्राम विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी की एस.एस.ओ. आईडी प्राप्त कर पोर्टल पर 2 दिवस में मैप किया जाना सुनिश्चित करें ताकि उक्त योजना का ऑन–लाईन सफल संचालन प्रारम्भ हो सके। **इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।**

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 10 ब.घो. 2024/मु.घु.आवास. योजना/बीसी/सान्याअवि/24/28138–99 जयपुर दिनांक – 21/1/25

प्रतिलिपी निम्न को प्रेषित कर सूचनार्थ–

1. निजी सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.01.20 17:53:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 13095[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

न लाल प
योजक
98292F

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक–एफ 11/घुमन्तु आवास योजना–2024/विमुस/सान्याअवि/24/13286 जयपुर दिनांक 22/10/2024

मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना–2024

दिशा–निर्देश

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। वर्तमान में, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में परिवार स्थायी आश्रयों और आवासों के बिना हैं। अपने वर्तमान सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, बड़ी संख्या में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय खुद को एक स्थान या दूसरे स्थान पर बसाने और वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखा गया है कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय पूरे राज्य में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रे में झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। वे या तो खुले, छोटे और अस्थाई तंबू में या छोटी झोंपड़ियों या तात्कालिक पक्के या कच्चे घरों में रहते हैं। उनकी बस्तियाँ वस्तुतः मलिन बस्तियां हैं जहाँ स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़कें और सार्वजनिक शौचालय आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की कोई सुविधा नहीं है।

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या 83 द्वारा निम्नानुसार घोषणा की गयी है– **स्थायी आश्रय और आवास से वंचित Denotified Tribes के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तु आवासीय योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।** वजट घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों को मूलभूत सुविधायें सहित पक्का मकान उपलब्ध करवा कर स्थायी रूप से बसाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024** के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी करती है:–

1) संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार :–
   1. यह योजना **मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024** होगी।
   2. यह योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी।

2) उद्देश्य :– योजना का उद्देश्य राज्य के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों जिनके पास स्वंय के पक्के मकान नहीं है, उनको मूलभूत सुविधाएं सहित पक्का मकान निर्माण हेतु अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करवा कर स्थायी रूप से बसा कर उनका पुनर्वास करना है।

3) परिभाषाएं :–
   1. 'राज्य सरकार' से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
   2. नोडल विभाग से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
   3. योजना के क्रियान्वयन विभाग से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग से है।
   4. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं आयुक्त/निदेशक से तात्पर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।

RajKaj Ref No : 9857577

5. 'जिलाधिकारी' ज़िले में नियुक्त विभाग के जिलाधिकारी संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअधि से है।

6. विकास अधिकारी से तात्पर्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी से है।

7. अधिशासी अधिकारी/आयुक्त से तात्पर्य नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम में पदस्थापित अधिशासी अधिकारी/आयुक्त से है।

8. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु' से तात्पर्य राज्य सरकार के आदेश संख्या F.1(F)(2)SW/63 Dated 24-02-1964 द्वारा जारी विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची से है।

9. परिवार से तात्पर्य परिवार में माता–पिता, पति–पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से है।

10. पक्का मकान से तात्पर्य यह है कि पत्थर की पट्टी की या आर.सी.सी (सीमेन्ट, कंक्रीट) की स्थाई छत से है।

4) <u>पात्रता व आवश्यक शर्तें :–</u>

1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
2. आवेदक राज्य सरकार के आदेश संख्या F.1(F)(2)SW/63 Dated 24-02-1964 द्वारा जारी विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची में सम्मिलित होना चाहिए।
3. आवेदक के पास राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार जारी विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
4. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु परिवार के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है।
5. आवेदक द्वारा पूर्व में आवास योजना से संबंधित केन्द्र व राज्य की अन्य योजनाओं में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।
6. आवेदक के पास शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि का नियमानुसार पट्टा होना आवश्यक है।
7. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
8. संयुक्त परिवार होने की स्थिति में परिवार के एक ही आवेदक को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। परिवार में माता–पिता, पति–पत्नी एवं अविवाहित बच्चों को इस योजना के उद्देश्य के लिए शामिल माना जायेगा।
9. आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 5.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आशय का एक स्वघोषित नोटरी एडवोकेट से सत्यापित शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

5) <u>आवेदन की प्रक्रिया व दस्तावेजः–</u>

1. योजनान्तर्गत पक्का आवास प्राप्त करने के लिये, दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पात्र विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा ई–मित्र कियोस्क/स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से आवेदक द्वारा राज्य सरकार के पोर्टल पर जन आधार संख्या दर्ज कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
2. आवेदक द्वारा अपनी जनाधार संख्या से सदस्यों की सूची में से अपने नाम का चयन करना होगा।
3. उपरोक्त प्रक्रिया में आवेदक की पहचान सत्यापित होने के पश्चात् आवेदक का सामान्य विवरण जैसे आवेदक का नाम, फोटो, लिंग, वैवाहित स्थिति, जन्म दिनांक, मोबाईल नं. पता आदि जनाधार से स्वतः भरा हुआ प्रदर्शित होगा।

RajKaj Ref No.: 9857577

4. उपरोक्त योजना से संबंधित अन्य आवश्यक सूचना दर्ज करने के पश्चात आवेदक की प्रोफाइल बनेगी।
5. इसके साथ ही आवेदक द्वारा मूल दस्तावेजों को स्पष्ट व पठनीय रूप से स्कैन कर अपलोड भी करना होगा।
6. आवेदन पत्र के साथ में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र एवं आवेदक के नाम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूखण्ड आवंटन के पट्टे एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
7. आवेदक को नॉन–ज्यूडिशियल के स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा करनी होगी कि– "आवेदक का [illegible] में राज्य में कहीं भी स्वयं का कोई दूसरा मकान नहीं है एवं राज्य सरकार द्वारा मकान निर्माण के लिए सहायता प्राप्त मकान को 20 वर्ष तक विक्रय नहीं किया जा सकेगा तथा उक्त मकान में वह स्वयं निवास करेगा। दो वर्ष तक निवास नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। आवेदक द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की आवास संबंधित योजनाओं में कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।"
8. ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनवाने के लिए अनुदान सहायता हेतु आवेदक को संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति में आवेदन करना होगा तथा शहरी/नगरीय क्षेत्र मे मकान बनवाने के लिए आवेदक को संबंधित अधिशासी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
9. संबधित विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेंजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र अपनी अनुशंषा के साथ संबधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अग्रेषित किया जायेगा।
10. सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग द्वारा सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति जारी कर आवश्यक राशि संबधित स्थानीय निकाय विभाग एवं संबधित पंचायत समिति को एकमुश्त राशि अन्तरित की जायेगी।
11. मकान निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मकान निर्माण में व्यय की गयी राशि का पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास तथा शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकाय विभाग/नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत की जाएगी तथा उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र पर आवेदक एवं सम्बन्धित पंचायत समिति/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/आयुक्त के प्रमाणीकरण के तौर पर हस्ताक्षर किये जाएंगे एवं उक्त कार्यालयों में पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता में से किसी एक के हस्ताक्षर भी उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र पर किये जाएंगे।

6) <u>बजट प्रावधानः–</u>

योजना के तहत प्रति आवेदक आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख रूपये तीन किश्तों यथा प्रथम किश्त 20,000 रूपये (अग्रिम नींव भराई के कार्य हेतु), द्वितीय किश्त 50,000 रूपये (लिंटल (Lintel) तक के कार्य पूर्ण होने पर) एवं तृतीय किश्त 50,000 रूपये छत निर्माण सहित समापन तक तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालय हेतु 12,000 रूपये एवं 90 दिवस की श्रमिक मानव दिवस के श्रम वेतन (मनरेगा) 23,940 रू /– राशि तक उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त अनुदान राशि तीनों किश्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑन–लाईन देय होगी।

7) <u>मकान निर्माण का क्षेत्रफलः–</u> मकान निर्माण का न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 वर्ग मीटर स्वच्छ रसोई सहित तथा शहरी क्षेत्र के लिए 30 वर्ग मीटर होगा।

Raj Rel No. 9857577

8) <u>विशिष्ट</u> :–

1. शपथ पत्र में आवेदक द्वारा मिथ्या कथन करने/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा किन्हीं तथ्यों को छिपाने/असत्य पाए जाने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाकर राशि वसूल की जा सकेगी।
2. इन दिशा–निर्देशों के निर्वचन एवं विवेचन के लिये आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे तथा इसमें संशोधन राज्य सरकार की अनुमति से किया जा सकेगा।
3. उक्त योजना राज्य में प्रभावी होने के दिनांक से गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना वर्ष 1997 से संचालित अप्रभावी हो जायेगी।
4. यह दिशा–निर्देश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 162401706 दिनांक 21.10.2024 की सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते हैं।

(कुलदीप रांका)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:–एफ 11/घुमन्तु आवास योजना–2024 /विकास/सान्याअवि/24/ 18287–305
जयपुर दिनांक 22/10/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1) सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
5) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
6) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर।
9) सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा , जयपुर।
10) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
11) समस्त संभागीय आयुक्त..
12) समस्त जिला कलक्टर..
13) समस्त उपखण्ड अधिकारी..
14) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड..
15) ए.सी.पी. मुख्यावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
16) समस्त संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सान्याअवि।
17) समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
18) समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
19) गार्ड फाईल।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

Document certified by KULDEEP RANKA <pscm-rj@gov.in>
Digitally Signed by Kuldeep Ranka
Designation: Additional Chief Secretary
Date: 22-10-2024 02:34:52

aj Ref No : 9857577

कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (मनरेगा प्रकोष्ठ),
जिला-हनुमानगढ़।
Email: [illegible]@gmail.com

क्रमांक :- [illegible] / 2025-26 / 479 दिनांक- 16/6/2025

श्रीमान आयुक्त ईजीएस
ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग,
अनुभाग-3, जयपुर

विषयः- मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024 के अंतर्गत स्वीकृत आवास को मनरेगा अंतर्गत अकुशल मस्ट्रोल जारी करने के सम्बंध में।

प्रसंग- राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला हनुमानगढ़ के स्वीकृति आदेश PS/CMGAY/2025/000135 दिनांक 08.04.2025 के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला हनुमानगढ़ के स्वीकृति आदेशांक PS/CMGAY/2025/000135 दिनांक 08.04.2025 द्वारा मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024 के अंतर्गत पंचायत समिति टिब्बी के नरसिंह, ग्राम पंचायत कुलचन्द्र का आवास स्वीकृत हुआ है। जिसमें उक्त कार्य के पेटे मनरेगा से पीएमएवाई की भांति 90 मानव दिवस की स्वीकृति का उल्लेख है, जबकि उक्त कार्य नरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024 के सम्बंध में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है व 90 मानव दिवस प्रार्थी को कैसे व किस योजना से प्रदान किये जाने हैं। इस सम्बंध में उचित मार्ग दर्शन प्रदान करने का श्रम करावें।

(ओपी बिश्नोई)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं,
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
जिला परिषद् हनुमानगढ़।

XEn (T)
Ma
Sd/- 17/6/2025
Matter related to technical section
Sd/- 20/6/25

Signature valid
Digitally signed by O[illegible] Prakash Bishnoi
Designation: [illegible] Executive Officer
Date: 2025.06.[illegible] [illegible]:51:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15929924

XEn (S)
Sd/- 20/6/25

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

यू.ओ.नोट

विषय :– मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना का ऑन–लाईन पोर्टल तैयार करने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशक महोदय के यू.ओ.नोट क्रमांक 987 दिनांक 24.10.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या 83 अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों को मूलभूत सुविधायें सहित पक्का मकान उपलब्ध करवा कर स्थायी रूप से बसाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024** के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी दिनांक 22.10.2024 जारी किये गये है। **(प्रति संलग्न)**

उक्त योजना के बिन्दु संख्या 05 में यह स्पष्ट अंकित है कि पात्र विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा ई–मित्र कियोस्क/स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से आवेदक द्वारा राज्य सरकार के पोर्टल पर जन आधार संख्या दर्ज कर ऑन लाईन आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना के अर्न्तगत आवेदन हेतु एक पृथक पोर्टल तैयार किया जाना है।

अतः उपरोक्त संबंध में लेख है कि कृपया उक्त योजना के आवेदन पत्र के अनुरूप आवश्यक पोर्टल तैयार कराने का श्रम करावें ताकि उक्त योजना क्रियान्वित हो सके।

अतिरिक्त निदेशक (पि.व.)
O/C

संयुक्त निदेशक (आई.टी.) राजेन्द्र 24-10-24

क्रमांकः–एफ 11/घुमन्तु आवास योजना–2024/विकास/सान्याअवि/24/334
जयपुर,दिनांकः–24.10.2024

मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना आवेदन पत्र

बीपीएल कार्ड संख्या :-

जनाधार कार्ड सं:-

प्राथी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

1. आवेदक का नाम :- ....

2. आवेदक के पिता/पति का नाम :- ....

3. आवेदक की माता का नाम :- ....

4. निवास स्थान का पूर्ण पता

(क) अस्थाई पता :-

(ख) स्थाई पता :-

5. गाँव/शहर ______ तहसील ______ जिला ______ राज्य ______ ।

6. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है:- हाँ नहीं

7. यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य______ जिला______ तहसील______ पूर्ण पता

______ विधानसभा क्षेत्र______ लोकसभा क्षेत्र______ ।

8. जन्म दिनांक: ___/___/___ जन्म स्थान ______ उम्र ______

9. लिंग पुरूष ☐ महिला ☐

10. आवेदक की समस्त स्त्रोतों से आय ....

11. आवेदक की वैवाहिक स्थिति :- विवाहित..........अविवाहित......................

12. आवेदक के परिवार का विवरण

क्र.स	नाम	उम्र	आवेदक से संबध	वैवाहिक स्थिति

13. आवेदक की जाति ....एवं घुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र संख्या..............................

...

14. मोबाईल नम्बर ....(जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित SMS द्वारा सूचना चाहता है।)

15. आवेदक के पास आवास की स्थिति

(I) आवेदक के परिवार के पास स्वंय का भूखण्ड है या नही :— हॉ/नहीं

(II) यदि है तो आवेदक के परिवार के पास उपलब्ध भूखण्ड का क्षेत्रफल ....वर्ग मीटर में।

(III) आवेदक के परिवार द्वारा उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण किया गया है:— हॉ/नहीं

(IV) क्या आवेदक द्वारा पूर्व में किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता (केन्द्र/राज्य) से आवास निर्माण करवाया गया है : हॉ/नहीं

(V) यदि हॉ तो किस योजना /सहायता अर्न्तगत विवरण प्रेषित करें:— ....
....।

16. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विशिष्टयॉ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(एफ)(2)एस डब्लू / 63 दिनांक 24.02.1964 के अनुसार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों में सूचीबद्ध जाति से हूँ।

दिनांक:
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ—पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री.........................निवासी.........................गांव/शहर................तहसील............जिला.........राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि :—

(1) मैं राजस्थान के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति.........का/की सदस्य हूं।

(2) मैं और मेरे परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं है, तथा मैं और मेरे परिवार द्वारा किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार की पूर्व में आवास के निर्माण योजना हेतु कोई सहायता प्राप्त नहीं की है।

(3) मैं और मेरा परिवार सरकार से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग भवन निर्माण में ही करेंगे एवं उक्त भवन में निवास करूंगा। उक्त भवन को आगामी 20 वर्षो तक में किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं करूंगा।

(4) यदि मेरे द्वारा किसी भी सूचना के मिथ्या एवं गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्वत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। तथा यदि पूर्व में मै और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भवन निर्माण हेतु कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर ली गयी है तो मैं इस योजना के तहत जो राशि प्राप्त कर रहा हूँ उसको ब्याज सहित सरकार को वापस लौटायें जाने के लिये वचनबद्ध एवं बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज :—

1. आवेदक की फोटो आवेदन पत्र पर चिपकायें।
2. आवेदक की स्वघोषित आय प्रमाण पत्र प्रति।
3. आवेदक के विमुक्त घुमन्तु व अर्द्ध घुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
4. आवेदक के भूखण्ड का पट्टा/रजिस्ट्री।

घुमन्तु आवास योजना को ऑनलाईन करने हेतु प्रस्तावित Flow Chart

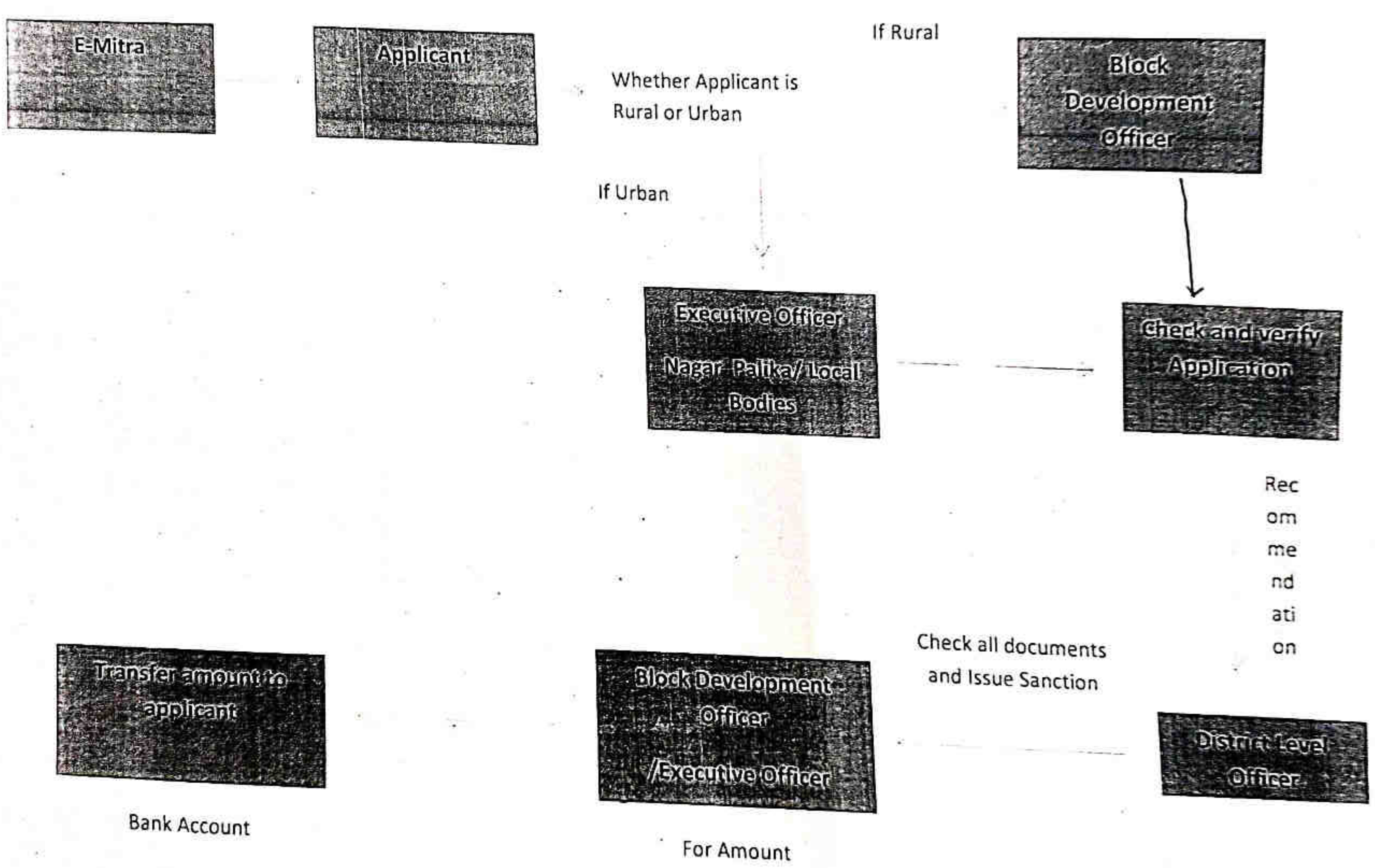

न लाल य
योजक
98292F

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक–एफ 11/घुमन्तु आवास योजना–2024/विमजस/सान्याअवि/24/13286 जयपुर दिनांक 22/10/2024

मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना–2024

दिशा–निर्देश

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। वर्तमान में, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में परिवार स्थायी आश्रयों और आवासों के बिना हैं। अपने बदलते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, बड़ी संख्या में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय खुद को एक स्थान या दूसरे स्थान पर बसाने और वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखा गया है कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय पूरे राज्य में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। वे या तो खुले, छोटे और अस्थाई तंबू में या छोटी झोंपड़ियों या तात्कालिक पक्के या कच्चे घरों में रहते हैं। उनकी बस्तियाँ वस्तुतः मलिन बस्तियां हैं जहाँ स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़कें और सार्वजनिक शौचालय आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की कोई सुविधा नहीं है।

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या 83 द्वारा निम्नानुसार घोषणा की गयी है– **स्थायी आश्रय और आवास से वंचित Denotified Tribes के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तु आवासीय योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।** बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों को मूलभूत सुविधायें सहित पक्का मकान उपलब्ध करवा कर स्थायी रूप से बसाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024** के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी करती है:–

1) **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार :–**
   1. यह योजना **मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024** होगी।
   2. यह योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी।
2) **उद्देश्य** :– योजना का उद्देश्य राज्य के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों जिनके पास स्वंय के पक्के मकान नहीं है, उनको मूलभूत सुविधाएं सहित पक्का मकान निर्माण हेतु अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करवा कर स्थायी रूप से बसा कर उनका पुनर्वास करना है।
3) **परिभाषाएं :–**
   1. 'राज्य सरकार' से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
   2. नोडल विभाग से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
   3. योजना के क्रियान्वयन विभाग से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग से है।
   4. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं आयुक्त/निदेशक से तात्पर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।

RajKaj Ref No : 9857577

5. 'जिलाधिकारी' ज़िले में नियुक्त विभाग के जिलाधिकारी संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअधि रो है।
6. विकास अधिकारी से तात्पर्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी से है।
7. अधिशासी अधिकारी / आयुक्त से तात्पर्य नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम में पदस्थापित अधिशासी अधिकारी / आयुक्त से है।
8. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु' से तात्पर्य राज्य सरकार के आदेश संख्या F.1(F)(2)SW/63 Dated 24-02-1964 द्वारा जारी विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची से है।
9. परिवार से तात्पर्य परिवार में माता–पिता, पति–पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से है।
10. पक्का मकान से तात्पर्य यह है कि पत्थर की पट्टी की या आर.सी.सी (सीमेन्ट, कंक्रीट) की स्थाई छत से है।

4) <u>पात्रता व आवश्यक शर्तें :–</u>

1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
2. आवेदक राज्य सरकार के आदेश संख्या F.1(F)(2)SW/63 Dated 24-02-1964 द्वारा जारी विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची में सम्मिलित होना चाहिए।
3. आवेदक के पास राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार जारी विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
4. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु परिवार के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है।
5. आवेदक द्वारा पूर्व में आवास योजना से संबंधित केन्द्र व राज्य की अन्य योजनाओं में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।
6. आवेदक के पास शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि का नियमानुसार पट्टा होना आवश्यक है।
7. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
8. संयुक्त परिवार होने की स्थिति में परिवार के एक ही आवेदक को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। परिवार में माता–पिता, पति–पत्नी एवं अविवाहित बच्चों को इस योजना के उद्देश्य के लिए शामिल माना जायेगा।
9. आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 5.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आशय का एक स्वघोषित नोटरी एडवोकेट से सत्यापित शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

5) <u>आवेदन की प्रक्रिया व दस्तावेजः–</u>

1. योजनान्तर्गत पक्का आवास प्राप्त करने के लिये, दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पात्र विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा ई–मित्र कियोस्क / स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से आवेदक द्वारा राज्य सरकार के पोर्टल पर जन आधार संख्या दर्ज कर ऑन लाईन आवेदन करना होगा।
2. आवेदक द्वारा अपनी जनाधार संख्या से सदस्यों की सूची में से अपने नाम का चयन करना होगा।
3. उपरोक्त प्रक्रिया में आवेदक की पहचान सत्यापित होने के पश्चात् आवेदक का सामान्य विवरण जैसे आवेदक का नाम, फोटो, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्म दिनांक, मोबाईल नं. पता आदि जनाधार से स्वतः भरा हुआ प्रदर्शित होगा।

4. उपरोक्त योजना से संबंधित अन्य आवश्यक सूचना दर्ज करने के पश्चात आवेदक की [illegible] बनेगी।
5. इस के साथ ही आवेदक द्वारा मूल दस्तावेजों को स्पष्ट व पठनीय रूप से स्कैन कर अपलोड भी करना होगा।
6. आवेदन पत्र के साथ में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र एवं आवेदक के नाम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूखण्ड आवंटन के पट्टे एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
7. आवेदक को नॉन-ज्यूडिशियल के स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा करनी होगी कि- "आवेदक के पास में राज्य में कहीं भी स्वयं का कोई दूसरा मकान नहीं है एवं राज्य सरकार द्वारा मकान निर्माण के लिए सहायता प्राप्त मकान को 20 वर्ष तक विक्रय नहीं किया जा सकेगा तथा उक्त मकान में वह स्वयं निवास करेगा। दो वर्ष तक निवास नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। आवेदक द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की आवास संबंधित योजनाओं में कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।"
8. ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनवाने के लिए अनुदान सहायता हेतु आवेदक को संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति में आवेदन करना होगा तथा शहरी/नगरीय क्षेत्र मे मकान बनवाने के लिए आवेदक को संबंधित अधिशासी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
9. संबधित विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र अपनी अनुशंषा के साथ संबधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अग्रेषित किया जायेगा।
10. सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग द्वारा सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति जारी कर आवश्यक राशि संबधित स्थानीय निकाय विभाग एवं संबधित पंचायत समिति को एकमुश्त राशि अन्तरित की जायेगी।
11. मकान निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मकान निर्माण में व्यय की गयी राशि का पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास तथा शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकाय विभाग/नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत की जाएगी तथा उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र पर आवेदक एवं सम्बन्धित पंचायत समिति/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/आयुक्त के प्रमाणीकरण के तौर पर हस्ताक्षर किये जाएंगे एवं उक्त कार्यालयों में पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता में से किसी एक के हस्ताक्षर भी उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र पर किये जाएंगे।

6) <u>बजट प्रावधान:-</u>

योजना के तहत प्रति आवेदक आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख रूपये तीन किश्तों यथा प्रथम किश्त 20,000 रूपये (अग्रिम नींव भराई के कार्य हेतु), द्वितीय किश्त 50,000 रूपये (लिंटल (Lintel) तक के कार्य पूर्ण होने पर) एवं तृतीय किश्त 50,000 रूपये छत निर्माण सहित समापन तक तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालय हेतु 12,000 रूपये एवं 90 दिवस की श्रमिक मानव दिवस के श्रम वेतन (मनरेगा) 23,940 रू /- राशि तक उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त अनुदान राशि तीनों किश्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑन-लाईन देय होगी।

7) <u>मकान निर्माण का क्षेत्रफल:-</u> मकान निर्माण का न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 वर्ग मीटर स्वच्छ रसोई सहित तथा शहरी क्षेत्र के लिए 30 वर्ग मीटर होगा।

aj Rel No. 9857577

8) <u>विशिष्ट</u> :–

1. शपथ पत्र में आवेदक द्वारा मिथ्या कथन करने/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा कि... तथ्यों को छिपाने/असत्य पाए जाने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाकर राशि वसूल ... जा सकेगी।
2. इन दिशा–निर्देशों के निर्वचन एवं विवेचन के लिये आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय ... अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे तथा इसमें संशोधन राज्य सरकार की अनुमति ... किया ... सकेगा।
3. उक्त योजना राज्य में प्रभावी होने के दिनांक से गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने ... सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना वर्ष 1997 ... संचालित अप्रभावी हो जायेगी।
4. यह दिशा–निर्देश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 162401706 दिनांक 21.10.2024 की सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते हैं।

(कुलदीप रांका)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः–एफ 11/घुमन्तु आवास योजना–2024 /विकास/सान्याअवि/24/ 18287–305

जयपुर दिनांक 22/10/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1) सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
5) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
6) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर।
9) सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा , जयपुर।
10) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
11) समस्त संभागीय आयुक्त..
12) समस्त जिला कलक्टर..
13) समस्त उपखण्ड अधिकारी..
14) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड..
15) ए.सी.पी. मुख्यावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
16) समस्त संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सान्याअवि।
17) समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
18) समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
19) गार्ड फाईल।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

Document certified by KULDEEP RANKA <pscm-rj@gov.in>
Digitally Signed by Kuldeep Ranka
Designation: Additional Chief Secretary
Date: 22-10-2024 02:34:52

Raj Ref No : 9857577

मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना 2024◌ः हर परिवार का सपना होगा साकार

(Read 1925 Times)

26 May 25
रेटिंग 3/ 5

Share |

Print This Page

<u>स्थाई आवास की ओर बढ़ता राजस्थान का ऐतिहासिक कदम राज्य सरकार का अभिनव प्रयास- विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों को मिलेगा पक्का घर</u>

श्रीगंगानगर। प्रदेश का हर जन अपना जीवन अपनी छत के नीचे जिए, इसी संवेदनशील सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनकल्याण के लिये प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना 2024 की शुरुआत की है। यह योजना उन विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए वरदान बन रही है, जो वर्षों से समाज की मुख्यधारा से कटे हुए, झुग्गियों, तंबुओं और अस्थाई झोपड़ियों में जीवन बिता रहे थे।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैले ये समुदाय मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं-स्वच्छ पानी, बिंजली, शौचालय, सड़क और स्थाई आवास तक की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने इनकी कठिन परिस्थितियों को समझते हुए इन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने का संकल्प लिया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वंचित समुदायों को पक्के मकान उपलब्ध कराकर स्थाई रूप से बसाया जाए। साथ ही उन्हें स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, शौचालय और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं।

इस योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विमुक्त, घुमंतू या अर्द्धघुमंतू जातियों में से हो, उसके पास जाति प्रमाण-पत्र तथा भूमि का वैध पट्टा हो, पूर्व में किसी अन्य आवास योजना का लाभ प्राप्त न किया हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो एवं परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो, संयुक्त परिवार की स्थिति में केवल एक व्यक्ति को लाभ मिंलेगा।

योजना में शामिल जातियाँ◌ः विमुक्त जातियाँ- बावरी, कंजर, सांसी, बागरी, बावरिया, मोगिया, नटए, नाइक, मुल्तानिस, भाट घुमंतू जातियाँ, बालदिया बंजारा, परधिस, गाडिया लोहार, जोगी

कालबेलिया, सिकलीगर, घीसादीस इत्यादि अर्द्धघुमंतू जातियाँः भोपा, रैबारी, भाया, कन्नीस, जंगलस, सिन्दुलस, जोगी इत्यादि।
घर बनाने के लिए तीन किस्तेंः राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। प्रथम किश्त 20,000 रूपये नींव के लिए अग्रिम, द्वितीय किश्त 50,000 रूपये लिंटर तक तथा तृतीय किश्त 50,000 रूपये छत सहित निर्माण पूर्ण होने पर दिये जायेंगे। साथ ही 12000 शौचालय निर्माण हेतु (स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत) 23,940 रूपये तक की मनरेगा मजदूरी (90 दिवस की मजदूरी)। सभी राशियाँ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित की जाएँगी।
पात्र व्यक्ति ई-मित्र कियोस्क या एसएसओ आईडी के माध्यम से sjms.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, भूमि पट्टा, शपथ पत्र (वार्षिक आय संबंधी)। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में नगरपालिका अधिकारी के पास किया जाएगा। संबंधित अधिकारी की अनुशंसा के पश्चात आवेदन जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी को भेजा जाएगा, जो राशि का आवंटन करेंगे।
मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना 2024 एक क्रांतिकारी पहल है, जो वंचित समुदायों के जीवन में स्थायित्व, गरिमा और आत्मसम्मान लाने का कार्य करेगी। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उनके जीवन में उजाले की किरण है। राजस्थान सरकार का यह प्रयास न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि यह समावेशी विकास की परिभाषा को भी नए आयाम देता है।